an>

Title: Need to provide civic amenities as well as government welfare schemes to forest dwellers in Gonda parliamentary constituency, Uttar Pradesh.

श्री कीर्ति वर्धन सिंह (गौंडा): मैं अपने संसदीय क्षेत्र गोण्डा के अधीन तहसील तरबगंज एवं मनकापुर के अन्तर्गत वनटांगिया बुटाहनी, अशरफाबाद, मनीपुर व रामगढ़ कक्ष संख्या-05 के वन प्रवासियों की परेशानियों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

वनटांगिया परिवार सन 1936 से वनीकरण से सम्बद्ध काश्तकार है। यह सारे अधिवास जंगल क्षेत्र के अधीन होने के कारण राजस्व ग्राम घोषित नहीं हो पाए हैं और न ही किसी ग्राम पंचायत से सम्बद्ध हैं। इस कारण इन्हें भारत सरकार तथा राज्य सरकार की तमाम लाभकारी योजनाओं से वंचित होना पड़ रहा है। सन् 2013 में तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा इन अधिवासों का निरीक्षण किया गया था तथा अपनी आख्या में उनकी परेशानियों का उल्लेख किया है। वनवासी प्रदूषित जल पीने को बाध्य है। जिसकी वजह से वे अक्सर संचारी रोगों से ग्रसित रहते हैं। प्रकाश की कोई व्यवस्था न होने के कारण जंगली जानवरों एवं जहरीले कीटों का भय बना रहता है। इन आदिवासियों के पास न ही राशन कार्ड और न ही जॉब कार्ड हैं क्योंकि वे किसी ग्राम मूलभूत सेवाओं से भी वंचित हैं। वन अधिकारों की मान्यता कानून 2006 एवं संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति के आदेश पर उपखंड स्तरीय समिति को पुनर्विचार करने हेतु आदेश जिला स्तरीय समिति ने पारित किया है। 8.5.2013 के इस आदेश का अभी तक पालन नहीं हुआ है।

मेरा माननीय पर्यावरण, वन एंव जलवायु परिवर्तन तथा माननीय जनजातीय कार्य मंत्री से अनुरोध है कि भारत का राजपत्र असाधारण भाग-2, खंड-3, उपखंड (1) प्राधिकार से प्रकाशित जनजातीय कार्य मंत्रालय अधिसूचना 06 सितम्बर, 2012 के निर्देशों का ध्यान में रखते हुए इन वनटांगिया परिवार को उनका हक दिलवाने की कृपा करें।